न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 09/ 2021
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/51

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री मेहजी पिता नाथू जाति भील निवासी गुगानपुरा तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्रीमती चंदा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र रोज, जाति भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा (राज.)
2. श्रीमती मणी पत्नी रविन्द्र नाथ, भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित, एडवोकेट

श्री समर पण्ड्या एड्वोकेट

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध निर्णय न्यायालय, तहसीलदार आनन्दपुरी, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 01/2021 अन्तर्गत धारा 183 सी राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1956, निर्णय दिनांक 16–07–2021 के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 14.12.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 183 सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार आनन्दपुरी को प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट्स श्रीमती चंदा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र रोज, जाति भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी, श्रीमती मणी पत्नी रविन्द्र नाथ, भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी के सयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं.49 नया, 48 पुराना के खसरा नंबर 2834 [illegible] रकबा 0.38 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2835, रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल [illegible] ग्राम [illegible]डोरा पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

ओबला तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा में स्थित है। अपीलाण्ट के अनुसार उसे अतिक्रमी मानकर सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 16.07.2021 को वाद ग्रस्त कृषि भूमि से एक पखबाडे में अतिक्रमण मुक्त कर रेस्पोडेंट को कब्जा दिलाने के आदेश पारित कर दिये गये। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.07.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.09.2021 को रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री समर पण्ड्या का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 26.10.2021 को रेस्पोडेंट्स की ओर से जवाब पेश हुआ।

रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया गया कि खाता सं.49 नया, 48 पुराना के खसरा नंबर 2834/3742 रकबा 0.38 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2835 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल खेत 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर ग्राम खण्डोरा पटवार हल्का ओबला तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेंट स्वयं सयुक्त रुप से शान्तिपूर्वक काबीज होकर उपयोग व उपभोग कर फसल प्राप्त कर रहे है। दिनांक 26.01.2020 की रात अपीलांट ने वर्णित कृषि भूमि में खसरा सं. 2834/3742 पर अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर रातो रात झोपडी का निर्माण कर लिया। जिसकी जानकारी उन्हे दिनांक 27.01.2020 को सुबह 10 बजे खेत पर जाने पर हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायायल ने कानून की मंशा के अनुरुप कार्यवाही की है। अतः अपील खारीज करने एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल करने निवेदन किया।

दिनांक 07.12.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता [illegible] कि वर्णित कृषि भूमि पर अपीलांट का अपने पूर्वजो के समय से [illegible] है और कवेलुपोश मकान बना कर रहे है जिसके साथ केटल [illegible] है। अपीलांट ने जबरन या गैर कानूनी तरीके से कब्जा नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य नही ली गई। मात्र जॉच रिर्पोट दिनांक 06.04.2021 के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश जारी किये है। वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारो के मध्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय आनन्दपुरी तथा अपील भू प्रबन्ध अधिकारी केम्प न्यायालय बॉसवाडा में प्रकरण विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दस्तावेजी साक्ष्य जो पत्रावली पर मौजुद है उनका न्यायोचित विवेचन किये बिना बहुत ही संक्षिप्त में विनिश्चिय के कारणो का उल्लेख किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 01/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2021 एवं बेदखली नोटिस दिनांक 02.08.2021 को निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की और से बहस में कथन किया गया किखाता सं.49 नया, 48 पुराना के खसरा नंबर 2834/3742 रकबा 0.38 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2835 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल खेत 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर ग्राम खण्डोरा पटवार हल्का ओबला तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा में स्थित है जिस पर रेस्पोडेंट्स काबीज होकर उपयोग व उपभोग कर कृषि कार्य कर रहे है। दिनांक 26.01.2020 की रात अपीलांट ने वर्णित कृषि भूमि में खसरा सं. 2834/3742 पर अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर रातो रात झोपडी का निर्माण कर लिया था। उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई हक व अधिकार नही है। वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारो के मध्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय आनन्दपुरी में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा 183 (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखल के आदेश [illegible] निरतर रुप से अवहेलना कर रहा है। धारा 183 (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] कार्यवाही कानूनन संक्षिप्त विचारण किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की मंशा के अनुरुप कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेंट्स श्रीमती चंदा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र, जाति भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी, श्रीमती मणी पत्नी रविन्द्र नाथ, भील निवासी गॉव गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 49 नया, 48 पुराना के खसरा नंबर 2834/3742 रकबा 0.38 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2835 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल खेत 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर ग्राम खण्डोरा पटवार हल्का ओबला तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा में स्थित है। भू अभिलेख निरीक्षक बरेठ की रिर्पोट एवं मौका पर्चा दिनांक 06.04.2021 अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट श्री मेहजी पिता नाथू जाति भील निवासी गुमानपुरा तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा कवेलू पोश मकान, केटल शेड, दुकान बनाकर कब्जा किया है। रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत प्रस्तुत किया, भू अभिलेख निरीक्षक बरेठ की जॉच, मौतबिरानो के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 06.04.2021 के आधार पर तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दोना पक्षो को विधि सम्मत सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 16-07-2021 पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2021 निर्णय दिनांक 16-07-2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner